# भारत निर्वाचन आयोग

**निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001**

फाइल नं. 590/आईटीईसी-10/आवास/2018/प्रशिक्षण॥ दिनांक: 28 दिसम्बर, 2018

**<u>होटल आवास हेतु कुटेशन आमंत्रण निविदा</u>**

भारत निर्वाचन आयोग का प्रशिक्षण संस्थान, भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एंव निर्वाचन प्रबंधन संस्थान नीचे उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए इच्छुक होटलों को अपनी कुटेशन प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करता है:-

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | संभावित तिथि | कमरों की संख्या | सम्मेलन कक्ष | सम्मेलन लंच | स्वागत रात्रि-भोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आई टी ई सी प्रशिक्षण कार्यक्रम | 7 से 11 जनवरी, 2019 तक | ~30 | 1 (40 प्रतिभागियों के बैठने की क्षमता वाला) | ~35 व्यक्ति | ~40 व्यक्ति |

इच्छुक होटल अद्योहस्ताक्षरी को अपनी मुहरबंद निविदाएं जमा कर सकते है ताकि वे 1 जनवरी, 2019 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए। निविदा 1 जनवरी, 2019 को पूर्वाहन 11.00 बजे खोली जाएगी। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, दोनों अलग-अलग लिफाफों में भेजी जानी चाहिए। निविदा वाले मोहरबंद लिफाफे पर (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) बडे-बडे अक्षरों में ***"अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए आवास हेतु निविदा"*** लिखा होना चाहिए। निविदाओं को निर्धारित तारीख और समय पर डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग (भू-तल), निर्वाचन सदन में जमा करवाया जा सकता है। निविदा निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए:-

**अवर सचिव (प्रशिक्षण)**<br>
**भारत निर्वाचन आयोग,**<br>
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,**<br>
**नई दिल्ली-110001**

**(संजीव कुमार प्रसाद)**<br>
**अवर सचिव**<br>
**E-Mail: iiidem@eci.gov.in**

फा.सं. 590/आईटीईसी-10/आवास/2018/प्रशिक्षण-II दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

## निबंधन एवं शर्तें

### तकनीकी बोली

1. होटल 4/5 सितारा श्रेणी का होना चाहिए।
2. होटल और रेस्टोरेंट एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल अधिकृत होना चाहिए। एचआरएसीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
3. आईआईआईडीईएम की टीम प्रत्येक होटल में विज़िट करेगी और अतिथियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेगी। यदि आईआईआईडीईएम की टीम होटल की अवस्थित, होटल की साज-सज्जा एवं सुविधाओं से संतुष्ट होगी तो होटल की वित्तीय बोली खोलने पर विचार किया जाएगा।
4. बोलीदाता की जीएसटी एवं आयकर, जहां उसका व्यवसाय अवस्थित है, के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
    1. जीएसटी पंजीकरण
    2. आयकर/पैन संख्या

### वित्तीय बोली

1. केवल उन्हीं होटलों की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली के अधीन योग्य पाए जाएंगे। जिन होटलों ने इन मानदंडों को पास नहीं किया है उनकी वित्तीय बोली के खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय बोली अनुलग्नक-I में दर्शाए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. सफल बोलीदाता मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. प्रतिभागियों की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायत कार्य-आदेश को रद्द करने का कारण होगी।
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को होटल द्वारा दी गई सेवाओं की संतुष्टि के बाद ही चैक/ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। होटल में प्रतिभागियों को रूकने की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
5. आयोग के पास अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

### अन्य शर्तें

1. कमरों की संख्या प्रतिनिधिमंडल के आगमन के समय पर घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। कमरों की संख्या बढ़ाने/घटाने के संबंध में, होटल यथानुपात एवं वास्तविकता के आधार पर प्रभार लेगा।
2. उपर्युक्त तिथियों के बीच में फील्ड दौरा (दिल्ली से बाहर) किया जा सकता है और प्रतिभागी एक/दो रातों के लिए दिल्ली से बाहर जा सकते हैं। इस स्थिति में, होटल प्रतिभागियों के लिए जहां वे रूके हुए थे, उनके दिल्ली वापस लौटने पर बिना किसी प्रभार के उनके लिए वही कमरे आबंटित किए जाएंगे। यदि प्रतिभागी होटल में अपना सामान छोड़ना चाहते हैं तो होटल उनके सामान की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगा।

3. परिनियोजित होटल से एक नोडल अधिकारी समन्वय उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। वह व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए जो आईआईआईडीईएम टीम के साथ समन्वय कर सकता है और उसको कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से प्रतिभागियों को लेकर आने से कार्यक्रम शुरू होने से लेकर उनको वापस छोड़ने तक आईआईआइडीईएम टीम की आवश्यकतानुसार मदद कर सके।
4. तकनीकी एवं वित्तीय बोली दोनों, अलग-अलग लिफाफों में भेजी जानी चाहिए।
5. भारत निर्वाचन आयोग/आईआईआईडीईएम प्रतिभागियों के रूकने के लिए एक या एक से अधिक होटल को परिनियोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. भारत निर्वाचन आयोग/आईआईआईडीईएम का निर्णय किसी भी स्थिति में उत्पन्न हुए विवाद के मामलों में मान्य होगा।
7. ईसीआई/आईआईआईडीईएम होटल को किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि आवास में ठहरने की उल्लिखित अवधि के दौरान रद्द कर दी जाती है तो होटल में प्रतिभागियों के रूकने के लिए यथानुपात/वास्तविक आधार पर होटल को भुगतान किया जाएगा।
8. बोली में चैक - इन/चैक आउट करने का समय स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।
9. कोई भी छिपे हुए प्रभार नहीं होने चाहिएं। भारत निर्वाचन आयोग/आईआईआईडीईएम केवल निविदा नोटिस में शामिल की गई मदों के लिए प्रभारों का भुगतान करेगा।
10. होटल को सभी प्रकार के करों एवं प्रभारों सहित सभी सम्मिलित दरें उद्धृत करनी होंगी।

**(संजीव कुमार प्रसाद)**

**अवर सचिव**

**E-Mail: iiidem@eci.gov.in**

**<u>अनुलग्नक</u>**

## <u>वित्तीय बोली प्रारूप</u>

| क्रम सं. | मद | शामिल मदें | प्रति प्रतिभागी /कमरा/हॉल दर (रूपये में) (सभी कर, शुल्क एवं सेवा शुल्क सहित) | प्रतिभागियों कमरों/सम्मेलन कक्षों की संख्या | कुल लागत (रूपये में) (सभी कर, शुल्क एवं सेवा शुल्क सहित) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आवास | सुबह का नाश्ता, रात्रि भोजन, वाई-फाई, प्रतिदिन प्रत्येक कमरे में चाय/कॉफी मेकर, अंग्रेजी समाचार पत्र, 2 मिनिरल वाटर बोटल जैसी अनुपूरक सेवाएं । | रू.________ शब्दों में: | 30 | |
| 2. | सम्मेलन हॉल | अनुपूरक आधार पर | | | |
| 3. | सम्मेलन लंच | | रू.__________ शब्दों में: | 35 | |
| 4. | स्वागत रात्रि भोजन (रेजीडेंटों के अलावा) | | रू.__________ शब्दों में: | 10 | |
| 5. | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (लाना एवं छोड़ना) | प्रति प्रतिभागी (लाना एवं छोड़ना) | रू.__________ शब्दों में: | 30 | |

**कुल योग आंकड़ों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। न्यूनतम उद्धृत करने वाले बोलीदाता को एल-1 बोलीदाता घोषित किया जाएगा।**

टिप्पणी:-

1. पूरी अवधि  के लिए, प्रत्येक कार्यक्रम हेतु नियंत्रण कक्ष को स्थापित करने के लिए एक अतिरिक्त कमरे की भी आवश्यकता होगी।

2. प्रतिभागियों की संख्या, परिणामस्वरूप  अपेक्षित कमरों की संख्या वास्तविक कार्यक्रम के समय/प्रतिभागियों के वास्तविक आगमन पर भिन्न हो सकती है। बिल वास्तविक आधार पर बनाया जाएगा।
3. सम्मेलन हॉल के प्रभारों में स्थान, बैठने की व्यवस्था, कुर्सी और मेज इत्यादि भी शामिल होंगें।
4. कार्यक्रम शुरू होने से पहले की पूर्व संध्या पर अपराहन 6:00 बजे से सम्मेलन कक्ष उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित होगा।